

तारीख हुक्म

23.10.21

पञ्चावली आज दि 23.10.21 को  
 प्रशासन गंगरी के संग जालोमित्र कोर्ट  
 के मय आकड़ली में पञ्चावली पेशा इ ई  
 वाली एवं त्रिवादी गण / उपस्थित  
 होकर ब्यापारालय के शपथ - पत्र -  
 पेश कर विवेदन किया गया  
 कि शर्ती बरिगर्मी सं. 1 के बीच विमान  
 ले रखा है, लेकिन खसरा सं. 302/221 व  
 303/221 के बीच में गलत रास्ता बनाकर  
 तस्मीन की जाई है, मोके पर संलग्न  
 नक्शा के अनुसार C से D एवं D से E के  
 रोड़े से रास्ता चलाना है। शर्तीके द्वारा  
 तस्मीन दुकानरी करने का नियोजन किया  
 गया।

तस्मीनदार, पंचपदरा, नामक तस्मीनदार

दुधवा, पटवारी हल्का आकड़ली के द्वारा  
 कार जालम मोके पर उक्त रास्ता सं. सं.  
 303/221 व 302/221 के बीच में नहीं है,  
 रास्ता सं. सं. 260/221 व 303/221 की बीच में  
 चल रहा है। परिशिष्ट "अ" अनुसार बिन्दु सं.  
 B से D का क्षेत्रफल 1.10 बीघा के स्थान पर मोके

पर विपरीत 303/

धनराज इंदर


Rahim (विशेष) जज



Handwritten signature

पर विद्यमान चालू रास्ता क्र.नं. 260/221, के  
303/221 के बीच में EAC का सेंटर  
1.10 बीघा भूखंड पर सीमा डुरुस्ती करने  
के आदेशों को गई।

पार्सी के आर्चना - पण को करीकार  
कर मौजा महादेव नगर के क्षेत्र क्र.नं.  
302/221 व 303/221 के बीच में रास्ता  
को गलत को गई पर सीमा को निरस्त  
किया जाया है, तहसीलदार पंचसदस्य  
द्वारा मोठे पर स्थित रास्ता खसल नं.  
260/221 व 303/221 के बीच में  
साई EAC रास्ता 1.10 बीघा पर सीमा  
भूखंड को पर सीमा डुरुस्ती करने के  
आदेशों को गई जाते हैं। तदनुसार  
मोठे पर पर सीमा डुरुस्ती कर  
पालना रिपोर्ट सिगवाई जाके  
निर्गल काज दि. 23.10.2021 को  
कोर्ट के आदेशों को करीकार के  
मजदों आम में खुनाया गया।

  
जिला मजिस्ट्रेट  
अहमदाबाद, प्रशासन गांधी के संग अक्टूबर 2021  
कृपया ध्यान दें